सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

विविध फौजदारी प्रकरण सं. 26/2018

फर्द अहकाम

विजय कुमार बनाम मीना रतवाया व अन्य

0/22 अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। प्रार्थी विजय कुमार रतवाया ने दिनांक 10.08.2018 को एक परिवाद मीना रतवाया पत्नी श्री गगन रतवाया एवं गगन रतवाया पुत्र श्री चुन्नी लाल रतवाया के विरूद्ध दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 340 के अन्तर्गत झूठे तथ्यों पर प्रार्थना पत्र मय मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही संस्थित करने का आदेश प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र को वास्ते जांच थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर को दिनांक 27.08.2018 को जरिये कमांक 1204 प्रेषित किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली द्वारा जरिये कमांक 6611 दिनांक 03.09.2018 के द्वारा परिवाद में जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो दिनांक 06.09.2018 को न्यायालय में प्राप्त हुई। परिवाद पर दोनो पक्षों को सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में कहा कि धारा 195 व धारा 340 दण्ड प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार आरोपी के विरूद्ध क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में धारा 182 या धारा 211 आईपीसी के तहत परिवाद प्रस्तुत कर सकते है। अतः इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण परिवाद खारिज किया जावें। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा भी प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस का समर्थन किया गया है। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी विजय कुमार रतवाया द्वारा परिवाद पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि अप्रार्थी मीना रतवाया द्वारा दिनांक 21.05.2018 को झुठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, के सम्बन्ध में कार्यवाही संस्थित करने का निवेदन किया है। परिवाद पत्र की जांच में प्रार्थी द्वारा लगाये गए आरोपों की जांच पुलिस द्वारा पूर्व में की जा चुकी है व मामला झूठा पाया गया है। जांच रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया है कि अप्रार्थी मीना रतवाया द्वारा पुलिस थाना कोतवाली में एफआईआर नंम्बर 455 दिनांक 16.10.2017 अन्तर्गत धारा 341, 323, 143 भा.द.स. में दर्ज करवाई गई थी जो बाद अनुसंधान मामले में एफ आर अदम वक्कू(झूठा) पाये जाने पर एफआर नं. 426/17 दिनांक 30.10.2017 को न्यायालय में पेश कर दी गई थी। इस प्रकार किसी व्यक्ति के विरूद्ध जान बुझकर अवैध क्षति पहुंचाने के लिए झुठा प्रार्थना पत्र या झूठा फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाना धारा 182 व धारा 211 भा.द. सं. के तहत अपराध बनता है जिस अधिकारी/लोकसेवक को झुठी सूचना दी गई थी। वह अधिकारी धारा 195 व धारा 340 दण्ड प्रकिया संहिता के प्रावधानो के अनुसार आरोपी के विरूद्ध क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में धारा 182 या धारा 211 भा.द.सं. का परिवाद पेश कर सकते है। उस सम्बन्धित अधिकारी/लोकसेवक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को ऐसा परिवाद पेश करने का कानूनी अधिकारी नहीं है। इस प्रकार, प्रार्थी विजय कुमार को धारा 340 सीआरपीसी के तहत परिवाद प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार नहीं है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप मैं इस निष्कर्ष पर पंहुचती हूँ कि प्रार्थी विजय कुमार रतवाया को धारा 340 सीआरपीसी के तहत परिवाद पत्र प्रस्तुत करने की विधिक अधिकारिता नहीं होने एवं इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण हस्तगत परिवाद खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना, कोतवाली, श्रीगंगानगर को उनकी जांच रिपोर्ट कमांक 6611 दिनांक 03.09.2018 के कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.जिला मजिस्ट्रेट (सतर्कता)
श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner